कार्यालय, पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

पत्रांकः-आर-एडीसीपी(अनुमति-01)/2022

दिनांक- दिसम्बर 05 ,2022

श्री रूपेश चौहान 9953328064

प्रबन्धक केचप मिडिया,

265 शक्ति खण्ड-4 इन्द्रापुरम गाजियाबाद।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपके द्वारा हैबीटेट सेन्टर इन्दिर में दिनांक 16.11.2022 से दिनांक 16.01.2023 तक हैन्डीकाफट एक्जीबिशन लगाये जाने की अनुमति चाही गयी है। उक्त आयोजन के सम्बन्ध में सम्बन्धित से आख्या प्राप्त की गयी जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय गाजियाबाद व मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपनी-अपनी आख्याओं में सशर्त अनुमति दी गयी है। आयोजन स्थल के संबंध में स्वीटेट सेन्टर द्वारा आयोजन की अनुमति दी गयी है।

अतएव उपरोक्त आख्याओं के आधार पर उक्त स्थल पर उक्त कार्यक्रम 05.12.2022 से 16-01-2023 तक के लिए ही आयोजन करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जाती है।

1-आयोजक यातायात के सम्पूर्ण नियमों का पालन करेंगे, यातायात बाधित नहीं करने तथा अपने निजी खर्चे पर प्राईवेट गार्डो/वालटियर्स / कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम में शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे।

2-आयोजकों द्वारा सड़क / पटरी / सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण करते हुए आयोजन नहीं किया जायेगा।

3-ध्वनि प्रसारण यंत्रो का प्रयोग धीमी गति से, मानक के अनुसार, एवं निर्धारित समय सीमा तक ही करेगें, एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी तीव्र वितरक यंत्र का प्रयोग नही किया जायेगी।

4- आयोजकों द्वारा आयोजन से पूर्व आयोजन स्थल को सम्बन्धित से अनापत्ति / आरक्षण कराया जाना आवश्यक होगा।

5- प्रदर्शिनी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना का समस्त उत्तरदायित्व आयोजनकर्ता का होगा।

6-प्रदर्शिनी निर्धारित स्थल पर ही किया जायेगा।

7-प्रदर्शिनी में किसी प्रकार के पण्डाल आदि का निर्माण अनुमन्य होगा।।

8-प्रदर्शिनी केवल स्टालों के रूप में लगायी जायेगी।

9-आयोजन में स्लीपर किसी प्रकार के ज्वलनशील कपड़े का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

10- प्रदशिनी में स्टालों पर किसी प्रकार की आतिशबाजी आदि का क/ विक्रय नहीं किया जायेगा।

11- स्थल पर मेला / मनोरंजन सम्बन्धी कोई कार्यक्रम / झूले आदि मनोरंजन कर विभाग की अनुमति से ही लगायेंगे।

12-प्रदर्शिनी में निर्धारित स्थल पर स्टालों का इस प्रकार लगाया जाये कि किसी भी दशा में निकास मार्ग अवरोधित न हो।

13-प्रदर्शिनी में प्रत्येक स्टालों पर मानको के अनुसार ए०बी०एस० फायर एसटिग्यूटर उपलब्ध रखे जाये।

14-प्रदर्शिनी में स्टालों पर हैलोजन लाईट का प्रयोग कदापि न किया जाये तथा स्टालो आदि पर लाईटो में बिजली के तार कटे-फटे न हों।

15-विद्युत बार्ड के पास 05 अदद 05 किग्रा क्षमता के ए0बी0सी/डी0सी0पी0 के फायर एक्सटिग्यूसर आई0एस0आई0 मार्क उपलब्ध रखे जायें।

16-आग की सूचना दूरभाष नम्बर 2770686, 2777102, 101 एवं 112 पर दी जाये।

17- सुरक्षा की दृष्टि से आयोजक द्वारा आयोजन स्थल के निकासी द्वार व प्रवेश द्वार पर क्लोज सर्किट कैमरे लगाने होगे।

18- आयोजित प्रदर्शनी आने वाले समस्त व्यक्तियों का पूर्ण विवरण आवेदक एवं प्रबन्धन वर्ग द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा तथा कोन्टेक्ट ट्रेसिंग के समय मांगे जाने पर तत्काल प्रस्तुत किया जायेगा।

19-आयोजित प्रदर्शिनी से पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा गाजियाबाद से निरीक्षण कराये जाने के उपरान्त उचित पाये जाने पर ही आयोजन किया जायेगा।

20-आयोजनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश शासन स्तर से व जिला प्रशासन, गाजियाबाद द्वारा कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी जारी समस्त प्रोटोकॉल (एसओपी) का पूर्णत पालन किया जायेगा तथा वर्तमान में जारी धारा 144 का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

21-इस संबंध में समस्त व्यक्तियों के द्वारा मास्क, दो गज की दूरी के नियमों का पालन किया जायेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के निमयों का पालन किया जायेगा। कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना की जायेगी। थर्मल स्कैंनिंग अनिवार्य रूप से की जाये। कार्यक्रम में निरन्तर समयान्तराल पर हाथ धोने के लिए पानी एवं साबुन तथा एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर की व्यवस्था आयोजकों को स्वयं करनी होगी।

22-आयोजकों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पोर्टल http://www.gst.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराकर प्राप्त करे तथा अग्रिम जीएसटी जमा करा कर ई चालान की प्रति प्राप्त करते हुये समस्त प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे।

आयोजकों द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन न होने पर प्रदत्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगा अथवा किसी अपरिहार्य स्थिति में दी गई अनुमति निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

05/12/22

अपर पुलिस उपायुक्त, कार्यालय,
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-पुलिस उपायुक्त, ट्रान्स हिन्डन, गाजियाबाद।

2-सहायक पुलिस आयुक्त, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

3-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद।

4-प्रभारी निरीक्षक, थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

5-प्रबन्धन हैबीटेट सेन्टर इन्द्रापुरम गाजियाबाद।